

Dr. Vandana Suman
 Associate professor
 Dept. of Philosophy
 H. D. Jain College, Ara
 B.A Part - II (Hons)
 Paper - III
 नीतिशास्त्र (Ethics)

GRB
 BOOKS

1. दंड के सिद्धान्त -
 "निरतनवादी सिद्धान्त"
 (Preventive or deterrent Notes
 of Exemplary theory)

किसी अपराधी को सजा देने का यह लक्ष्य रहता है कि उस अपराधी को पुनरावृत्त उस अपराधी या अन्य व्यक्ति द्वारा न हो। एक न्यायपीठ के शब्दों में दंड का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार रखा जा सकता है - "तुम्हें भेड़-चराने के लिए दंडित नहीं किया जाता, बल्कि इसलिए की भेड़ की चोरी न हो।" (You are not punished for stealing sheep but in order that sheep may not be stolen.) चोरी, डकैती, हत्या आदि के लिए सजा देने का मुख्य लक्ष्य यह है कि भाविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्त न हो। इसी प्रकार अन्य कर्मों के लिए पुरस्कार देने का उद्देश्य, ताकि भाविष्य में इन कर्मों के करने की प्रेरणा मिले। जब किसी अपराधी को कठल कारक - वॉरेंट पर प्रकरीन के लिए रखा जाता था तब उसके पीछे यह मुख्य प्रयोजन था कि दूसरे लोग इस न्याय मंच पर आकर इस प्रकार का अपराध न करें।

आलोचना -
 निरतनवादी सिद्धान्त को पूर्ण रूप से नहीं अपराध को संभावना सफल करने के लिए किसी अपराधी को **सुख** पास-बुक
 AN EASY APPROACH TO GET SUCCESS

Notes

2

GRB

फंड दिया जाता है। (अपराधवृत्ति) BOOKS
 शिकने के लिए किसी मनुष्य को साधन
 बनाना सुनिश्चित अनुचित है। मनुष्य
 को सुख दे सक (साध्य) समझा
 जाना चाहिए न कि साधन मनुष्य को
 साधन बनाना मनुष्य मात्र के
 प्रति अन्याय करने है। इसी को
 अपराध करने से शिकने के लिए
 किसी व्यक्ति को फंड देना भी
 उचित नहीं कहा जा सकता।
 मनुष्य के शब्दों में "एक व्यक्ति
 को केवल इतरे के लिए तकलीफ
 देना शायद ही उचित समझा जाए
 इसमें मनुष्य को वस्तु मान लेना
 होगा एक साधन - अर्थात् अपने-आपमें
 साध्य नहीं। लिलि के अनुसार, जो
 निर्वर्तनवाक्य की सबसे बड़ी कमजोरी
 यह है कि यदि फंड का लक्ष्य
 केवल व्यक्ति का कुकर्मा से अलग
 करना है, तो यह महत्वहीन है।
 कि उचित व्यक्ति अपने आप में
 बकसूर या कसूरवार है।" मनुष्य
 वसा आनू नहीं है, जिसमें शोडा-
 सा काठ लगाने पर आनूओं के
 साड़ने के अर्थ से उसे निकाल
 फेंका जाए।